न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act 1955 सरकार बनाम पदमाराम, भागीरथराम, भोलूराम, मोहनराम पुत्रान जमनाराम कुम्हार कुचामनसिटी

वाद पत्र नम्बर 174/2022 **GCMS No.2022/352**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.03.2024	प्रतिवादी/अप्राथी मोहनराम एवं उनके अधिवक्ता श्री मेवाराम के द्वारा आवेदन–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 339 में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण प्रतिवादीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर प्रतिवादीगण के विरूद्व विचाराधीन है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के यहॉ से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा जारी आदेश पत्रांक/न.प.कु./भूमि/ 2022–23/3511 दिनॉक 29.09.2022 के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की ली गई थी, जो आज दिन उक्त भूमि पुनग्रहित होकर नगपरपरिषद कुचामनसिटी के नाम दर्ज चली आ रही है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप कर खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किय गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं नगरपालिका कुचामनसिटी से जारी प्ररूप–11 में जारी आदेश दिनॉक 29.09.2022 इत्यादि के अवलोकन करने पर प्रश्नगत भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु दिनॉक 29.09.2022 को जारी होकर नगरपरिषद के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज होने से पूर्व ही भूमि में नगरपरिषद कुचामनसिटी द्वारा अनुज्ञा/आदेश जारी किये जा चुके है। अतः वाद पत्र चलने को कोई औचित्य नही है। अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya Date: 2024.08.01 14:18:03 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते	